सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-7692/MP/988/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 20.07.2026

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-भोपाल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

पुलिस आयुक्त, भोपाल,
कार्यालय पुलिस आयुक्त,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: pc.bhopal@mppolice.gov.in

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्य प्रदेश शासन,
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन,
पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011
ई-मेल: igrebpl@nic.in

आयुक्त,
नगर पालिका निगम, भोपाल
हर्षवर्धन परिसर, माता मंदिर,
भोपाल, मध्य प्रदेश
ई-मेल: commoffice@bmconline.gov.in

विषय: अनावेदक द्वारा आवेदक की पैतृक भूमि पर षड़यंत्र और फर्जी दस्तावेज़ बनाकर कब्जा करने के संबंध में श्री रमेश भिलाला, निवासी-ई- 08, अरेरा कालोनी, मकान नं. 380, चाणक्य अपार्टमेंट, बावडिया कलां, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री रमेश भिलाला,
निवासी-ई- 08, अरेरा कालोनी, मकान नं. 380,
चाणक्य अपार्टमेंट, बावडिया कलां,
जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/DEV-7692/MP/988/2026-RO-BH/RU-I

श्री रमेश भिलाला द्वारा पैतृक अनुसूचित जनजाति भूमि के कथित फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी एवं अवैध रजिस्ट्रियों के माध्यम से हस्तांतरण, भूमि पर अवैध निर्माण तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंधी अभ्यावेदन पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्री रमेश भिलाला, पता- ई-08, अरेरा कालोनी, मकान नं. 380, चाणक्य अपार्टमेंट, बावड़िया कलां, जिला-भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अवगत कराया गया कि उनके परदादा स्वर्गीय मुल्ला भील के नाम पर वर्ष 1959 के पूर्व से पैतृक भूमि खसरा क्रमांक 33/2, रकबा 4.75 एकड़, ग्राम गेहूंखेड़ा, तहसील कोलार, जिला भोपाल में दर्ज थी। परदादा की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हुई तथा बाद में आवेदक एवं अन्य वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही।

3. अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया कि वर्ष 1993-94 में उक्त भूमि सांईबाबा गृह निर्माण सहकारी समिति के सचिव रविकुमार तिवारी तथा वर्ष 1994-95 में पुण्यराज गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष तेजपाल सिंह के नाम दर्ज कर दी गई। आरोप है कि दोनों समितियों के पदाधिकारियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई गई तथा वास्तविक वारिसों की जाति "मीना राजपूत" अंकित कर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां कराई गईं। इसके उपरांत भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया तथा वर्तमान में भूमि पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है।

4. अभ्यावेदक द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया है कि उक्त फर्जी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित किया जाए, दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए, भूमि का नामांतरण पुनः वास्तविक वारिसों के नाम किया जाए तथा भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए।

5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12.05.2026 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल, पुलिस आयुक्त, भोपाल, महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश शासन तथा आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक किसी भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, श्री रमेश भिलाला द्वारा अपनी पैतृक भूमि खसरा क्रमांक 33/2, ग्राम गेहूखेड़ा, तहसील हुजूर (वर्तमान तहसील कोलार), जिला भोपाल के संबंध में फर्जी दस्तावेज एवं षड्यंत्र के माध्यम से

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

भूमि के हस्तांतरण का आरोप लगाया गया था। प्रकरण की जांच वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे का विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में संबंधित गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा श्री दिनेश के नाम कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं पाया गया। जांच में अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण पर यह पाया गया कि खसरा क्रमांक 33/2/1 की भूमि के संबंध में वर्ष 1989 में विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र उपलब्ध हैं, जिनमें विक्रेताओं की जाति "मीना राजपूत (गैर-आदिवासी)" अंकित है। शिकायतकर्ता द्वारा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण का आरोप लगाया गया, किन्तु संबंधित दस्तावेजों का पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि पंजीकृत दस्तावेजों को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को है तथा पंजीयन अधिकारियों का दायित्व केवल दस्तावेजों के निष्पादन एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के सत्यापन तक सीमित है। उपलब्ध अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर यह प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन तत्कालीन प्रचलित नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

7. दिनांक 16.06.2026 को सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की पैतृक भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण, फर्जी दस्तावेजों के निर्माण, राजस्व अभिलेखों में अनियमित प्रविष्टियों तथा भूमि पर अवैध निर्माण से संबंधित गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। आयोग ने यह भी गंभीरता से संज्ञान लिया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद किसी भी संबंधित विभाग द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। सुनवाई दिनांक के दिन उपलब्ध प्राधिकारी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि विक्रय किया गया किंतु अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था। तथा पंजियक कार्यालय के रिपोर्ट में उल्लखित है कि विक्रेता ने उस समय स्वयं को गैर अनुसूचित जनजाति समाज का होना बताया था।

8. आयोग ने संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा कहा कि प्रकरण में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। आयोग ने यह भी माना कि अनुसूचित जनजाति की पैतृक भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न अनुशंसाएं की –

(i) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल विवादित भूमि के स्वामित्व, नामांतरण, राजस्व अभिलेखों एवं कथित अवैध हस्तांतरण की जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन 30 दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं।

(ii) पुलिस आयुक्त, भोपाल अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों के संबंध में की गई कार्रवाई, प्राप्त शिकायतों तथा यदि कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया हो तो उसकी वर्तमान स्थिति से आयोग को अवगत कराएं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(iii) इस प्रकरण में आयोग के तरफ से एक जांच दल स्थल परीक्षण हेतु दौरा करेगा।

(iv) सभी संबंधित प्राधिकारी 30 दिवस के भीतर बिंदुवार एवं अद्यतन प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आगे आवश्यक विचार किया जा सके।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-।

....

फाइल सं. NCST/DEV-7692/MP/988/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक 16.06.2026

विषय: अभ्यावेदक द्वारा आवेदक की पैतृक भूमि पर षडयंत्र और फर्जी दस्तावेज़ बनाकर कब्जा करने के संबंध में श्री रमेश भेलाला, निवासी-ई 08, अरेरा कालोनी, मकान नं 380, चाणक्य अपार्टमेंट, बावड़िया कला, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिला-भोपाल, -462001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				

पुलिस आयुक्त, भोपाल, कार्यालय पुलिस आयुक्त, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2	Manjr Khati	Addl DCP	9958012291	[signature]
3				

महानिरीक्षक पजीयन, मध्य प्रदेश शासन,

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन, पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2	Swapnesh Sharma	Sr. District Registrar	968577 2250	[signature]
3				

आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल हर्षवर्धन परिसर, माता मंदिर, भोपाल, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				

अभ्यावेदक/ अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3.				